(39)

संख्या बी-3-4204/दस-1987

प्रेषक,

श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला
एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक : 5 जून, 1987।

विषय:--भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की सामान्य योजना (आयोजनागत) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे राज्य कर्मचारियों, जो उसी क्षेत्र में अपना भवन निर्माण/क्रय करना चाहते हों, को भवन निर्माण/ क्रय अग्रिम की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अनुदान संख्या--54 लेखा शीर्षक "7610-सरकारी सेवकों आदि को उधार-आयोजनागत-201-गृहनिर्माण अग्रिम-02-गृह क्रय/निर्माण के लिये अग्रिम-24-निवेश/ऋण" के अन्तर्गत शासन द्वारा धनराशि आवंटित की जाती है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य की जटिलताओं के कारण उस क्षेत्र में आवासीय समस्या बनी रहती है, अतः इस समस्या के कुछ सीमा तक निवारण के लिये शासन द्वारा वर्ष 1981-82 में यह निर्णय लिया गया था कि यदि पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला कोई राज्य कर्मचारी जो उसी क्षेत्र में मकान बनवाना/क्रय करना चाहता है अथवा उसी क्षेत्र में स्थित अपने मकान की मरम्मत करवाना चाहता है, उसे पर्वतीय विकास के आयोजनागत परिव्यय से भवन निर्माण अग्रिम की सुविधा प्रदान की जाये। इस उद्देश्य से वर्ष 1981-82 से पर्वतीय विकास विभाग की अनुदान संख्या-47 लेखा शीर्षक "6551-पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-02-आवास के लिये कर्जे-राज्य कर्मचारियों को भवन निमाण अग्रिम" के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे कर्मचारियों को जो उसी क्षेत्र में भवन निर्माण/क्रय करना चाहते हों, को भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। सामान्य योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे राज्य कर्मचारियों, जो उसी क्षेत्र में भवन निर्माण/क्रय करना चाहते हों, को अग्रिम स्वीकृत करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, पर शासन की जानकारी में यह बात आई है कि कतिपय विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे राज्य कर्मचारी जो उसी क्षेत्र में अपना भवन निर्माण/क्रय करना चाहते हों को भवन निर्माण की सामान्य योजना के अन्तर्गत अग्रिम इसलिये स्वीकृत नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके लिये शासन द्वारा पर्वतीय विकास के आयोजनागत परिव्यय से भवन निर्माण/क्रय हेतु अलग से व्यवस्था की जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। वास्तव में पर्वतीय विकास के आयोजनागत परिव्यय से उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण अग्रिम विभाग में प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धान्त के अनुसार रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत कर्मचारियों को अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए, उसी क्रम में स्वीकृत किया जाना चाहिये जिस क्रम में उनका पंजीकरण हुआ हो। यदि इस क्रम में किसी ऐसे कर्मचारी का नम्बर आता हो जो पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हो और उसी क्षेत्र में अपना भवन निर्माण/क्रय करना चाहता हो तो यदि पर्वतीय क्षेत्र की आयोजनागत परिव्यय के अन्तर्गत भवन निर्माण/क्रय हेतु आवंटित धनराशि में से उसे स्वीकृत करने हेतु धनराशि उपलब्ध हो तो उक्त कर्मचारी को उसी धनराशि में से अग्रिम स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाय। यदि पर्वतीय विकास के आयोजनागत परिव्यय में से आवंटित धनराशि में से स्वीकृति हेतु धनराशि उपलब्ध न हो तो उसे भवन निर्माण अग्रिम की सामान्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से अग्रिम स्वीकृत करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

भवदीय,
उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी।

संख्या बी-3-4204 (1)/दस-1987, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।

3--राज्यपाल सचिवालय ।

4--निबन्धक, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद ।

5--वित्त निगम कोष्ठक अनुभाग (दो प्रतियों में)

6--महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी ।